प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल
'चयन भवन' मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल–462011
Phone : +91-755-2578801-04, Fax : +91-755-2550498

क्रमांक / पीईबी / Dir / 13 / 2021 / 3047 / 2021 भोपाल दिनांक 28/8/21

## / / आदेश / /

दिनांक 10 एवं 11 फरवरी 2021 को आयोजित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पद पर भर्ती के लिए पीईबी द्वारा अनुबंधित परीक्षा संचालक एजेंसी के माध्यम से प्रदेश के 13 शहरों के 57 परीक्षा केंन्द्रो में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की थी।

परीक्षा आयोजन के पश्चात् पीईबी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार दिनॉक 17 / 02 / 2021 से 07 दिवस तक अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका को ऑनलाइन प्रदर्शित कर मॉडल उत्तर कुंजी पर आपत्ति बुलाई गई थी। उक्त प्रकिया के पश्चात पीईबी को शिकायते प्राप्त हुई थी कि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा आयोजित परीक्षा में बहुत अधिक अंक प्राप्त किये गये हैं, जो उनकी अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों के अनुरूप नहीं है।

पीईबी की आंतरिक समिति द्वारा तत्काल परीक्षा से संबंधित अभिलेख एंव जानकारियों को परीक्षा संचालन एजेंसी से प्राप्त कर जांच की गई। तदोपरान्त जांच में मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तकनीकी विशेषज्ञों का सहयोग लिया गया। एम.पी.एस.ई.डी.सी. विशेषज्ञ द्वारा परीक्षा से संबंधित गतिविधियों का इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड, डिजिटल फुट प्रिंट की जॉच की गई।

विस्तृत जॉच पश्चात सर्वर लॉग(Server log) में 10 फरवरी को अपरान्ह करीब 01:30 पर एक log पाया जिससे यह प्रतीत होता है कि परीक्षा का प्रश्न–पत्र अनाधिकृत रूप से डाऊन–लोड हुआ है। यह डाऊन–लोड पीईबी के कम्पयूटर पर नहीं हुआ है, पीईबी के बाहर से अन्य किसी अनाधिकृत मशीन पर डाऊन–लोड हुआ है। यह Unauthorized गतिविधि है, जो पीईबी के SOP अनुसार नहीं है।

परीक्षा में मात्र किसी एक शहर विशेष के अभ्यर्थियों द्वारा अधिक अंक प्राप्त किया जाना शंका का आधार हो सकता है, किन्तु परीक्षा को निरस्त किये जाने का आधार नहीं हो सकता। प्रथम दृष्टया में परीक्षा आयोजन की पूर्ण प्रक्रिया में एजेंसी द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन नहीं किया जाना पाया गया है। जिससे परीक्षा की शुचिता दूषित होने की आशंका उत्पन्न हुई है एवं यह परीक्षा को निरस्त किये जाने का आधार भी है।

वर्ष 2020–2021 में आयोजित की गई अन्य 2 परीक्षाओं में भी ऐसी जांच एमपीएसईडीसी का सहयोग लेकर की गई। प्राप्त एमपीएसईडीसी की रिपोर्ट में समूह–2 उपसमूह–4 भर्ती परीक्षा 2020 (दिनांक 29, 30, एवं 31 जनवरी 2021 को प्रदेश के 11 शहरों के 57 परीक्षा केंन्द्रो में आयोजित) एवं समूह–5 भर्ती परीक्षा 2020 के एक पेपर कोड–K (स्टॉफ नर्स / मेल स्टॉफ नर्स / नर्सिंग सिस्टर / मेट्रन) की परीक्षा (दिनांक 12.01.2021 एवं 13.01.2021 तक प्रदेश के 8 शहरों के 42 परीक्षा केंन्द्रों में आयोजित) के पालियों में शहर विशेष के अभ्यर्थियों के द्वारा अत्यधिक अंक प्राप्त किये गये हैं। एमपीएसईडीसी की रिपोर्ट में परीक्षा से पूर्व प्रश्न–पत्र पीईबी से बाहर किसी अन्य अनाधिकृत मशीन से डाऊन–लोड होना पाया गया। इससे परीक्षा की शुचिता दूषित होने की आशंका उत्पन्न हुई है जो परीक्षा को निरस्त किये जाने का आधार है।

निरंतर..

28/8/21

उक्त के आधार पर दिनॉक ,10 एवं 11 फरवरी, 2021 को आयोजित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा–2020, दिनॉक 29, 30 एवं 31 जनवरी, 2021 को आयोजित समूह–2 उपसमूह–4 भर्ती परीक्षा–2020 एवं समूह–5 भर्ती परीक्षा–2020 के एक पेपर कोड – K (स्टॉफ नर्स/मेल स्टॉफ नर्स/नर्सिंग सिस्टर/मेट्रन) की परीक्षा जो दिनांक 12.01.2021 एवं 13.01.2021 को आयोजित की गई थी, का परिणाम घोषित नहीं करते हुये न्यायहित एवं छात्रहित में तीनों परीक्षाओं को निरस्त किया जाता है। प्रकरण की विस्तृत जांच साइबर पुलिस के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है। दोषी एजेंसी पर अनुबंध अनुसार शास्ति की कार्यवाही की जा रही है। आगामी परीक्षाओं एवं निरस्त परीक्षाओं की पुनः परीक्षा (Re-examination) समय सीमा पर शुचितापूर्वक संपन्न हो इसके लिए आवश्यक कार्यवाही त्वरित गति से की जा रही है।

(अध्यक्ष, पी.ई.बी. द्वारा अनुमोदित)

नियंत्रक (प्रभारी)
प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड,
भोपाल